

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/R-35/2018/

दिनांक:-

आदेश

निम्नलिखित नर्स-2 (परिवीक्षाधीन) का उनके स्वयं के प्रार्थना पत्र के आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकितानुसार असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

क्र० स०	नाम कर्मचारी	दिनांक से	दिनांक तक	अवधि दिवस में	अवकाश का प्रकार
1	रीना मालव	13.08.16	26.08.16	14	असाधारण अवकाश
2	गौरी नरवाल	10.10.17	21.10.17	12	असाधारण अवकाश
3	मीना कुमारी गौतम	09.05.17	23.05.17	15	असाधारण अवकाश
4	वैशाली मेहरा	01.12.17	02.12.17	02	असाधारण अवकाश
5	मोनिका वर्मा	18.10.17	06.11.17	20	असाधारण अवकाश
6	प्रभा यादव	01.08.17	12.08.17	12	असाधारण अवकाश
7	पूनम कुमारी शर्मा	02.05.16	13.05.16	12	असाधारण अवकाश
8	रश्मि शर्मा	20.04.16	10.05.16	21	असाधारण अवकाश
9	मनोज कुमार	16.10.17	30.10.17	15	असाधारण अवकाश
10	अजय कुमार मेहरा	11.06.17	13.07.17	33	असाधारण अवकाश

वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक **F.1(2)FD(Rules)/06/Part-1** दिनांक 11.06.2014 के अनुसरण में एक माह से अधिक अवधि के उपरान्त उपभोग किये गये असाधारण अवकाश की सीमा तक उनके परिवीक्षाकाल में अभिवृद्धि की जावेगी।

Sd/-

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान जयपुर

दिनांक:- 11-5-2018

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/R-35/2018/668

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अधीक्षक, नवीन चिकित्सालय मेडिकल कालेज परिसर, कोटा।
2. सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
3. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि विभागीय वेबसाइट पर आदेश अपलोड करें।
4. आदेश/रक्षित पत्रावली।

Sd/-

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान जयपुर